



(फ़ोन) 022-22862703)

ई-मेल/e-mail-irw@dae.gov.in

फैक्स/Fax No. - 2204 8476 &
2282 4354

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

परमाणु ऊर्जा विभाग

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

औ. सं. एवं क. अनुभाग

IR&W SECTION

अणुशक्ति भवन

Anushakti Bhavan,

छ. शि. म. मार्ग

C.S.M. Marg,

मुंबई/Mumbai - 400001

सं. No. 7/3/2017/IR&W(Vol.II) /15102

दिसंबर December 4, 2018

कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

विषय : सीएचएसएस के तहत योग और प्राकृतिक उपचार प्रदान करना।

Sub : Extension of Yoga and Naturopathy treatment under CHSS

विभाग में चिकित्सा की एलोपैथिक (आधुनिक) प्रणाली के तहत कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को उपचार प्रदान करने के लिए अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना (संशोधित) की शुरुआत 1 फरवरी, 1998 से की गई थी। बाद में, 1 अक्टूबर, 1985 के कार्यालय ज्ञापन सं. 22/1/80-सीएचएसएस-वाल्सू. III के द्वारा आयुर्वेदिक और होमियोपैथिक प्रणाली के तहत चिकित्सा देख-रेख और उपचार कराने के लिए भी अनुमति प्रदान की गई।

Contributory Health Services Scheme (Revised) has been introduced in the Department with effect from 1st February 1998 for providing treatment to employees and their family members under Allopathic (modern) system of medicine. Subsequently, vide OM No.22/1/80-CHSS Vol.III dated 1st October 1985 accorded permission to avail medical attention and treatment under Ayurvedic and Homeopathic systems of medicine also.

2. सीजीएचएस नियमावली या सीएस (एमए) नियमावली के तहत लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के तहत उपचार/प्रक्रिया प्रदान करना विभाग के पास विचाराधीन रहा है।

It has been under consideration of the Department to extend treatment/procedures under Yoga and Naturopathy in line with the guidelines issued by Ministry of Health & Family Welfare for the beneficiaries under CGHS Rules or CS(MA) Rules.

3. सीएचएसएस लाभार्थियों को योग और प्राकृतिक उपचार के तहत उपचार प्रदान करने का प्रस्ताव जाँच और सिफारिश के लिए सीएचएसएस की समीक्षा करने हेतु गठित समिति को भेजा गया। विचार करने के बाद इस समिति ने सभी लाभार्थियों के लिए सीएस (एमए) नियमावली के पैटर्न पर इसे लागू करने की सिफारिश की है।

The proposal to extend treatment under Yoga and Naturopathy treatment to CHSS beneficiaries was referred to the Committee constituted to Review the CHSS Rules for examination and recommendation. After consideration, the Committee has recommended to implement the same on the pattern of CS(MA) rules for all beneficiaries.

4. तदनुसार, विभाग में यह निर्णय लिया गया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित पैनलबद्ध आयुष हास्पिटल/केंद्रों से योग और प्राकृतिक उपचार के तहत सीएचएसएस के सभी लाभार्थियों को उपचार दिया जाए।

Accordingly, it has been decided in the Department to extend to all the CHSS beneficiaries treatment under Yoga and Naturopathy from the empanelled AYUSH Hospital/Centres, as notified from time to time by the Ministry of Health & Family Welfare.

5. आयुष हास्पिटल/केंद्रों से योग और प्राकृतिक उपचार के तहत उपचार निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :

Treatment under Yoga and Naturopathy in AYUSH Hospitals/Centres is subject to following conditions:

1. संबंधित लाभार्थी की विशेष अनुरोध पर लाभार्थी की मासिक आय दर्शाते हुए उसे संबंधित यूनिट के प्रमुख द्वारा रेफरेंस लेटर जारी किया जाएगा। इसके अलावा, लाभार्थियों को एलोपैथिक उपचार के लिए विभाग द्वारा जारी सीएचएसएस कार्डों को प्रस्तुत करना पड़ेगा। वे ओपीडी की सेवा लेने के समय या भर्ती होने के समय आयुष हास्पिटलों/केंद्रों के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारियों के सम्मुख अपना संबंधित सीएचएसएस कार्ड भी प्रस्तुत करेंगे।

The beneficiaries will be issued with a reference letter by the Head of Office of the Units concerned on a specific request from the beneficiary concerned showing the monthly income of the beneficiary. Apart from this, the beneficiaries will have to produce CHSS cards issued by the Department for Allopathic treatment. They will also produce their respective CHSS cards to the Authorised Medical Officers of the AYUSH hospital/centres at the time of attending the OPD or at the time of admission.

2. लाभार्थी इस उपचार को लेने के लिए टीए/डीए के भुगतान के लिए पात्र नहीं होगा।
The beneficiary will not be eligible for payment of TA/DA for availing the treatment.

3. आयुष हास्पिटल/केंद्रों के तहत हास्पिटल में भर्ती होने/उपचार लेने के लिए, लाभार्थियों को ओपीडी की सेवाएं लेने या भर्ती होने के समय शुरूआती प्रभार को वहन करना आवश्यक होगा और वे संबंधित यूनिटों से उसकी प्रतिपूर्ति की मांग कर सकते हैं।

For hospitalization /treatment under the AYUSH Hospital/Centres, the beneficiaries will be required to bear the charges initially at the time of attending OPD or at the time of admission and they could seek reimbursement from units concerned.

4. व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए इन बिलों का निपटान आयुष हास्पिटल/केंद्रों के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार किया जाएगा।

The bills will be settled for reimbursement of expenditure as per rates notified by the Ministry of Health & Family Welfare for the AYUSH hospital/centres.

5. चिकित्सा के योग और प्राकृतिक उपचार प्रणाली के तहत उपचार को कवर करने के लिए इस योजना के विस्तार पर व्यय को विभाग और यूनिट के संबंधित बजट शीर्ष में डाला जाएगा जिससे वह लाभार्थी जुड़ा है।

The expenditure on the extension of the scheme to cover treatment under Yoga and Naturopathy systems of medicines will be debited to the respective budget heads of the Department and Units to which the beneficiary is attached.

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This is issued with the approval of Competent Authority.

(राकेश गर्ग Rakesh Garg)

निदेशक (आईआरएंडडब्ल्यू) Director (IR&W)

सेवा में To

सभी सीएचएसएस के नियंत्रण प्राधिकारी

All CHSS Administering Authorities